जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/palm/02 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 4 मई 2021

कुछ तो शर्म करो जिम्मेदारों!!!

भूखंड संख्या B-1,2 हनुमान नगर,सिरसी रोड पर खोली गयी नयी शराब की दुकान

विख्यात कोचिंग सेंटर और अस्पताल से महज कुछ कदमों की दूरी पर ही खोल दी शराब की दुकान!!!

आबकारी नियम 75 गया गुइयाँ के खेत मे!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

सिरसी रोड खातीपुरा मोड पर खुली शराब की दुकान

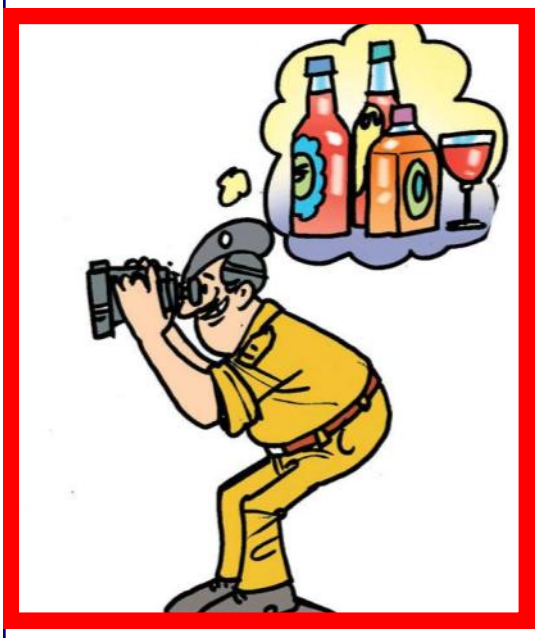

आबकारी अधिकारी खुद ही उड़ा रहे राजस्थान आबकारी नियम 75 का मखौल|

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है की किसी भी स्कूल कॉलेज,अस्पताल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी|साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल कॉलेज से भिन्न शिक्षण संस्थान होने की स्थिति मे उनके बंद होने के कम से कम एक घंटे बाद ही उस शराब की दुकान को खोली जाएगी|

ऊपर की तस्वीर से स्पष्ट है कि भूखंड संख्या B-1,2 हनुमान नगर,सिरसी रोड पर खोली गयी इस दुकान से सटे हुए प्लॉट मे ही बरसो से एलन कोचिंग संस्थान का कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है,वो तो गनीमत है की कोरोना मे अभी सभी प्रकार के कोचिंग,स्कूल,कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद है वरना इस शराब की दुकान के कारण,यहा आने वाले बच्चों का भविष्य बनने की बजाय बिगड़ना तय था|

यह तो हुई एलन कोचिंग संस्थान की बात,हो सकता है कि इसके लिए संबन्धित आबकारी निरीक्षक ने अपनी नोटशीट मे लिख दिया हो कि **"कोचिंग संस्थान मौके पर बंद पाया गया"**|परंतु तस्वीर मे एलन के एक प्लॉट छोड़कर आरके यादव मेमोरियल अस्पताल और उसके बाद थार हॉस्पिटल को स्पष्ट देखा जा सकता है|इस जिंदा मक्खी को निगलने के लिए आबकारी निरीक्षक ने अपनी नोटशीट मे क्या लिखा होगा?यह समझ से परे है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 – दुकानों की अवस्थिति

75(1) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय का लाईसेन्सधारी अपनी दुकान केवल संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय की दुकान महाविद्यालयों, सीनियर माध्यमिक विद्यालय सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, पूजास्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कॉलोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी ।

(3) खुदरा विक्रय के लिये दुकान जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदली नहीं जायेगी ।

(4) जिला आबकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी दुकान को एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदल सकेगा और दुकान बदलने के लिये लाईसेंसधारी को कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी ।

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारणें को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तो में छूट प्रदान की जा सकेगी।

(नोटः राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/ 2008 दिनांक 21.01.2009 से राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 (2) के अन्तर्गत शिथिलता प्राप्त कर राज्यभर में शिथिलता के अन्तर्गत संचालित दुकानों के आदेश को प्रत्याहरित (Withdraw) करने के निर्देश प्रदान किये थे इसकी पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.32(बी)(42) आब/एल/2006/2612 दिनांक 21.01.2009 से राज्य में नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शिथिलता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया गया।)

स्पटीकरण –

(1) नियम 75 के उपनियम (2) के उद्धेश्य के लिये पूजा के स्थान से दुकान की दूरी के संबंध में प्रतिबन्ध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में केवल उन्हीं स्थानों के लिये लागू होगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली सूची में वर्णित होगें।

(2) हरिजन कॉलोनी से तात्पर्य नगर पालिका के ऐसे वार्ड से है जिसवमें अन्तिम जनगण्ना के अनुसार वार्ड की समस्त जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हों ।

(3) महाविद्यालय या सीनियर सैकेन्डरी स्कूल स्तर के विद्यालयों से भिन्न शैक्षणिक संस्थापन के समीप स्थिति कोई दुकान संस्थान के बंद होने के कम से कम एक घंटे पश्चात् खोली जावेगी ।

(4) नियम 75 के उप नियम (2) के उद्धेश्य के लिये मनोरंजन स्थान से तात्पर्य केवल थियेटर अथवा सिनेमा हॉल से है,

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

आबकारी विभाग बन चुका है शराब ठेकेदारों के हाथों की कठपुतली

जैसा कि हमे पता है कि इस वर्ष से राजस्थान सरकार ने शराब की दुकानों की लॉटरी की बजाय नीलामी व्यवस्था शुरू की है जिसके कारण अधिकतर शराब की दुकाने पुराने और बड़े ठेकेदारों द्वारा ही छुड़ायी गयी है|इसका असर यह हुआ है की आबकारी विभाग मे इन पुराने ठेकेदारों ने अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया है|यह दुकान इसका जीता-जागता उदाहरण है|अब तो आबकारी विभाग के लिए यह मुहावरा भी कहने लगे है कि **"जिसकी लाठी उसी की भैंस"**

एलन इंस्टीट्यूट के संचालक कर चुके इस अवैध दुकान की शिकायतें|

ऐसा नहीं है कि इस शराब की दुकान का विरोध नहीं हो रहा है|एलन इंस्टीट्यूट के संचालक इस दुकान की शिकायत जिला आबकारी अधिकारी से लेकर जिला कलेक्टर तक को कर चुके है परंतु विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उन्हे यह लोलिपोप पकड़ा कर शांत करने की कोशिश कर रहे है कि जैसे ही कोरोना का कहर कम होगा और सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति देगी वह इस दुकान को हटा देंगे|अब यह तो कोई भी समझदार व्यक्ति सोच सकता है की भला एक बार भारी निवेश के साथ दुकान जमाने के बाद कौन भला मानुष अपनी जमी जमाई दुकान को हटाता है|

जिम्मेदार अधिकारी

क्रम	जिम्मेदार अधिकारी	नाम
1	जिला आबकारी अधिकारी	श्री सुनील भाटी
2	अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी	श्री गिरवर शर्मा
3	आबकारी निरीक्षक	श्रीमति इन्दु यादव

क्या हटेगी यह अवैध दुकान?

देखना यह है कि हमारे द्वारा यह मामला जिम्मेदारों के संज्ञान मे लाने के बावजूद इस दुकान को हटाया जाता है या फिर अधिकारी **"ठेकेदार शरणम गच्छामि"** ही जाएंगे?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com